

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/लेखा/2017-18


दिनांक : 4-1-2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक- प्रथम/द्वितीय)

विषय : समस्त प्रकार की पूर्ववर्ती वर्षों की लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान पे-मेनेजर (आई.एफ.एम.एस.) के माध्यम से करने बाबत।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समस्त प्रकार की पूर्ववर्ती वर्षों की लंबित छात्रवृत्तियों का भुगतान पे-मेनेजर (आई.एफ.एम.एस.) के माध्यम से पूर्व में प्रचलित पद्धति अनुसार ही विद्यार्थियों के बैंक खातों में किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। लंबित छात्रवृत्तियों का अविलम्ब भुगतान उक्त निर्देशानुसार अर्थात् पे-मेनेजर (आई.एफ.एम.एस.) के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।

चालू वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्तियों के भुगतान हेतु अनिवार्यतः बी.आर.डी. एच. पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय के मेकर, चैकर, लेखा हेतु उनकी व्यक्तिगत एसएसओ आई डी को बी.आर.डी.एच. पोर्टल पर मैप कर दिया गया है।


वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि

1. समस्त उप-निदेशक(माध्यमिक), को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।


लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर